## कार्य क्षेत्र (Functions)

- 1. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से स्थायी नहीं किया हो।
- 2. पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्यूटी) के मामले।
- 3. तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलना।
- 4. सेवा निवत्तियों, मूल सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा की रकम नहीं मिलना।
- 5. सेवा से निलम्बन के मामले, जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चल रहा हो।

राज्य से संबधित शिकायतें, राष्ट्रपित कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सिववालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें एवं कर्मचारियों / आम जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतें इस विभाग में प्राप्त होती है साथ ही जन समस्याओं जैसे सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें व अतिक्रमण जो जन समस्याओं की परिधि में आते हैं उनका निस्तारण इस विभाग द्वारा समय पर किया जाता है।

शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 09.01.1980 से इस विभाग का कार्यक्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया गया जिसके अन्तर्गत नगर निगम/परिषद/पालिका (मण्डल) एवं नगर विकास न्यास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, विधवायें, अंगहीन व्यक्तियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में देरी, बकाया वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वार्षिक तरक्की, अमानत राशि की वापसी, चिकित्सा भत्ता, निर्वाह भत्ता, बीमा सम्बन्धी कार्य आदि का निस्तारण परीक्षणों उपरान्त किया जाता है।

यह विभाग कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, पूर्वोद्वाहरणों इत्यादि में परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु अधिकृत है जिससे कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके या वे अभियोगों के निराकरण में सहायक हो सके। विभिन्न सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा किये गये विनिश्चयों में से अभिकथित अनौचित्यके सुस्पष्ट मामलों को भी जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर अथवा जब कभी भी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या मुख्य सचिव महोदय द्वारा विशेष रूप से चाहा जाये, ऐसे प्रकरण भी इस विभाग द्वारा देखे जाते है।

मई 1992 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त व राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित दरबार में उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण करने हेतु उन्हें जन अभियोग निराकरण विभाग में भेजा जाये और वांछित कार्यवाही / शिकायतों का निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जावे, जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास अधिक बढ़े। परिणाम स्वरूप इस विभाग में प्राप्त परिवादों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।